भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 862] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 16, 2016/अग्रहायण 25, 1938
No. 862] NEW DELHI, FRIDAY DECEMBER 16, 2016/AGRAHAYANA 25, 1938

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना।

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 1148(अ).—महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप धारा (1) के साथ पठित, धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, व.उ.चिदम्बरनार पत्तन के बोर्ड के न्यासीगण द्वारा बनाए गए, तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 को एतद्द्वारा और इस अधिसूचना के साथ संलग्नित अनुसूची में निर्दिष्टानुसार, अनुमोदन देती है ।

2. उक्त संशोधित विनियम, सरकारी राजपत्र में, इस अधिसूचना के प्रकाशन होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

[फा. सं. पीआर–12012/9/2016–पीई. I]

वरुण मित्रा, संयुक्त सचिव

अनुसूची

व. उ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास

तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, व.उ. चिदम्बरनार पत्तन के बोर्ड के न्यासीगण, एतद्द्वारा तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2008 को, और आगे संशोधन करने हेतु, निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 **लघु शीर्ष एवं प्रारंभ :**

(i) ये विनियम, तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 कहे जाएं।

(ii) ये, भारत के राजपत्र में, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 एवं 132 के प्रावधानों के तहत, आवश्यकतानुसार केन्द्र सरकार के अनुमोदन से, प्रकाशन होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2 तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2008 में, खंड (क्यू) के नीचे विनियम 3 के तहत, निम्नलिखित को (आर) के रूप में जोड़ा जाए :—